

अज अदालत महापुत्र कुलवध एवं S.D.O. मुकाम बामरजेठाराम बनाम हेमाराम वरारकिस्म मुकदमा वा० भा० 111,128 ALRAC-1 198/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/07/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>इन्द्रभद्र चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 ALRAC-1</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राक्षस अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>04/08/2021</u> को पेश हो।</p>	
04/08/21	<p><u>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी/गो</u></p> <p><u>के नोटिस तामिल इस तामिल कयाप्त।</u></p> <p><u>तामान पीठारान कश्तकारी का फरकित</u></p> <p><u>दाने से मिशाल इलतका टोडर कयाप्त</u></p> <p><u>दिनांक 02/09/21 को पेश हो।</u></p>	
07/09/21	<p><u>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी/गो</u></p> <p><u>के नोटिस तामिल इस तामिल कयाप्त।</u></p> <p><u>इलतजा टोडर पत्रावली दिनांक 02/10/21</u></p> <p><u>को पेश हो।</u></p>	



02/10/2021

सवासे

पंजावली आज केम कोर्ट ग्राम पंचायत

वापस जोपजी से रखी गई प्राची वकील उपस्थित।
 विप्राचीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अत्राप (
 प्राची के अखिवरता की एकपत्रि बमस सुनी गई, प्राची-क
 अखिवरता द्वारा बताया की प्राची व विप्राचीगणों की
 खानेदारी कमि सेवा-सेब खाई हुई हैं प्राची व विप्राचीगणों
 के खानेदारी खेत सेवा सेब आये हुए हैं प्राची व
 विप्राचीगणों के सेबों के महम जो पुरानी मोहे व कुणे
 आये हुए थे जो वर्तमान में अंघिप्रों की वजह से बिखर
 गये हैं जिससे प्राची व विप्राचीगणों के महम हमेशा
 खेत के सेबों को लेकर तनपता बना रहता है प्राची
 की अपने खेत के सेबों का सही ज्ञान होने हेतु
 नेखमवरी करवारी आवश्यक है इसलिए नेखमवरी
 आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमवरी आवेदन किया
 जावे।

अतः प्राची का नेखमवरी आवेदन स्वीकार किया
 जाकर तसीलदार वापस को कमिशनर व सम्बन्धित
 कु. अभिलेख निरिक्त को सहायक कमिशनर नियुक्त
 किया जाकर आवेदन दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक
 कमिशनर से प्राची के खानेदारी खेतों की पम्की नेखम-
 वरी मोके पर कमिशनर शुल्क जमा करवा दीजें पत्रों के
 संवत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
 पंजावली हो, पंजावली फसल शुमार होकर दर्ज नम्बर
 से कर से, पंजावली दफ्तर हो।

15/10/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु
(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट, बायतु भोपजी)

क्रमांक/कैम्प कोर्ट/बायतु भोपजी/2021/1244
प्रार्थी बनाम

दिनांक:-02/10/2021
विप्रार्थीगण

1. जेठाराम पुत्र लालाराम
जाति राईका निवासी बायतु भोपजी
तह. बायतु जिला बाड़मेर

1. हेमाराम पुत्र सोनाराम वगैरा जाति राईका
निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला
बाड़मेर वगैरा 18
(विप्रार्थीगणों की सूची संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 198/2021

आदेश

मौजा बायतु भोपजी पटवार हल्का बायतु भोपजी भू अभिलेख निरीक्षक बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1238/351 रकबा 0.9465 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर व सम्बन्धित भू. अ. नि. को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/कैम्प कोर्ट/बायतु भोपजी/2021/1245+049
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

दिनांक:-02/10/2021

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जेठाराम पुत्र लालाराम
4. विप्रार्थी श्री हेमाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 18
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु


उपखण्ड अधिकारी बायतु